प्रेस नोट *27/11/2024*

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आबकारी अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹26,00 के अर्थदंड से किया गया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 27-11-2024 को मु0अ0सं0 1218/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त मनीष पुत्र नगीना थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने की अवधि तक सजा एवं ₹26,00 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एक ट्रैक्टर वाहन (लगभग 03 लाख 97 हजार रुपये कीमत) धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत किया गया जब्त–

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा अंकुर गैंग का सदस्य शातिर अभियुक्त विशाल राय पुत्र संजीव राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना कोपागंज में मु0अ0सं0 325/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने पिता के नाम से एक ट्रैक्टर वाहन (लगभग 03 लाख 97 हजार रुपये कीमती) खरीदा था । अपनी अवैध चल संपत्ति छुपाने के लिए अपने पिता संजीव राय पुत्र धुप नरायण राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ के नाम से एक ट्रैक्टर वाहन जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख 97 हजार रुपये है, क्रय किया गया है।

अभियुक्त विशाल राय पुत्र संजीव राय व उसके पिता के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे उक्त वाहन को क्रय किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 07.11.2024 को उक्त वाहन को जब्त करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 14.11.2024 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत उक्त ट्रैक्टर वाहन को जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 27.11.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा उक्त ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया गया।